M-24/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 556051

01 MAY 2008

EX D1 12/2/13

श्रीगणेशाय नमः

विक्रय-पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनॉक 07.05.2008 ईस्वी को कस्बा चौमूॅ मे– बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम उर्फ गंगूसिंह उम्र करीब 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूॅ जिला जयपुर (राज.) जिन्है इस लेख पत्र मे आगे शब्द

क्रमांक 969 ... दिनांक 6/5/08
मुद्रांक का कुल मूल्य 1 / 5000/-
नाम स्व कुमारी लक्ष्मी बधाल्य शिक्षा
पिता/पति ... एवं शोध संस्थान
पता गोविन्दगढ़
मुद्रांक खरीदने का कारण तथा सम्बन्धित पार्टी ... विक्रय-पत्र

राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
लाइ० नं० R127/1035

आज दिनांक **7** माह **May** सन् **2008** को **16:25** बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री **BAJRANG SINGH** पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री **GANGU RAM (GANGU SINGH)**
उम्र **45** वर्ष, जाति **JAT** व्यवसाय **AGR**
निवासी **GOVIND GARH**
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता   हस्ताक्षर उप पंजीयक, **CHOMU**
(2008002449)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं0 **2008002067** दिनांक **07/05/2008**
पंजीयन शुल्क रू0 6370/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 49950/-
कुल योग रू0 56520/-

(2008002449)   उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री **(Executant)** **1-BAJRANG SINGH/GANGU RAM (GANGU SINGH)** **Age:45, Caste-JAT** **Ocu.-AGR** **R/O-GOVIND GARH**		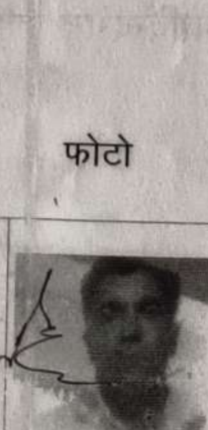	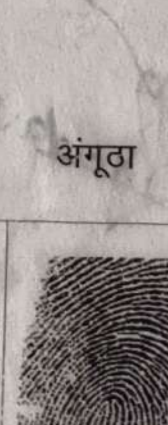

''प्रथम पक्ष विक्रेता'' से सम्बाधित किया गया है की और से स्व0 कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान गोविन्दगढ़ तहसील चौमूँ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान उम्र 63 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूँ जिला जयपुर जिन्हे इस लेख पत्र मे आगे शब्द **''द्वितीय पक्ष क्रेता''**से सम्बोधित किया गया है के हित मे निम्न प्रकार लिखा गया, जिसकी शर्तो से दोनो पक्षा व इनके समस्त वारिस, उत्तराधिकारी, मुख्त्यार, नोमिनी, हस्तान्तरिती इत्यादि भी पूर्ण रूप से पाबन्द है व रहेंगे।

जो कि वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूँ जिला जयपुर मे मुझ प्रथम पक्ष की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सारणी नम्बर–1

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1–	1162	1.08 हैक्टेयर	चाही/जाव–1
2–	1168	0.92 हैक्टेयर	बारानी–2
3–	1169	0.36 हैक्टेयर	बारानी–2
योग:–	3	2.36 हैक्टेयर	

उपरोक्त वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि मे हिस्सा 1225/7632 भाग (1/24 + 5/48 + 14/954 = 1225/7632 भाग) की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे मुझ प्रथम पक्ष के नाम से है तथा मेरा ही काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

(And Claimant)
1-BAJRANG LAL/PURAN MAL
Age:63, Caste-NAI
Ocu.-BUSI
R/O-GOVIND GARH

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 600000/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 600000/–पूर्व में ———————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री **MOHAN LAL**
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **SUNA RAM** उम्र **45** वर्ष
जाति **KUMAWAT** व्यवसाय **AR**
निवासी **BALEKHAN**

2. श्री/श्रीमती/सुश्री **MUKESH SAINI**
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **GANGA SAHAI** उम्र **27** वर्ष
जाति **MALI** व्यवसाय **AGR**
निवासी **CHOMU** ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2008002449) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))

कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है। शेष हिस्सो की खातेदारी अन्य खातेदारो के नाम से है जो सुरक्षित है।

सारणी नम्बर–2

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1–	1108	0.12 हैक्टेयर	बारानी–2

उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर–1108 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे मुझ प्रथम पक्ष के नाम से है तथा मेरा ही काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है।

यह कि उक्त वर्णित मेरे हिस्से की भूमि पर मै प्रथम पक्ष बिना किसी अन्य व्यक्ति, पारिवारिक सदस्य इत्यादि के सीर–सांझे व हिस्से के एक मात्र रूप से मालिक, स्वामी, अधिकारी, काबिज एवं खातेदार हूँ तथा मैने अपने हिस्से की उक्त वर्णित आराजीयात भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी हित व अंश को आज तक किसी अन्य व्यक्ति, संस्था के हित मे विक्रय, बक्शीश, त्याग आदि द्वारा हस्तान्तरित नही की है और न ही किसी के ऋण एवं भार, कर्जा, कुर्की आदि द्वारा रहन, गिरवी अथवा अनुबन्धित की है। उक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार से पूर्णतया पाक व साफ है। अतः मुझ प्रथम पक्ष को उपरोक्त वर्णित सारणियो के मुताबिक मेरे हिस्से की भूमि सम्पूर्ण को अथवा इसके किसी भी हित व अंश को समस्त कृर्षि एवं खातेदारी मालिकाना अधिकारो सहित हस्तान्तरित करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त है।

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 636800
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 49950 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 6370 कुल रूपये 56520
ज़रिये रसीद संख्या 2008002067 दिनांक **07/05/2008**
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 50950
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2008002449) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक **07/05/2008** को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 262
में पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 2008001851 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 827
के पृष्ठ संख्या 211 से 219 पर
चस्पा किया गया।

(2008002449) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))

(28)

यह कि मुझ प्रथम पक्ष को अपनी खानगी खर्च एवं अन्य पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु रूपयो की सख्त आवश्यकता है। अतः मैने उपरोक्त सारणी नम्बर–1 मे वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1225/7632 भाग सम्पूर्ण को एवम् सारणी नम्बर–2 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर–1108 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को समस्त कृषि एवम् खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारो सहित मय बोल, डोल सूल, पानी–पूला, वृक्ष आदि के मुबलिग 6,00,000/– रूपये अक्षरे छः लाख रूपये के बदले उक्त द्वितीय पक्ष **स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान जाति नाई निवासी ग्राम गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला जयपुर के** हित मे कतई बेचान कर दी है तथा रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशि नकद प्राप्त करके उक्त विक्रित आराजीयात भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता को जाकर करा दिया है। अब द्वितीय पक्ष को अपने नाम से नामान्तकरण एवं खातेदारी खुलवाने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चूके है। यदि इस सम्बन्ध मे मुझ प्रथम पक्ष के लिखित अथवा मौखिक बयान एवं शहादत की आवश्यकता होगी या पडेगी तो मै प्रथम पक्ष उक्त द्वितीय पक्ष का पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य रहूंगा।

उप पंजीयक चौमूं

अब मुझ प्रथम पक्ष का व मेरे उत्तराधिकारियो का उक्त विक्रित आराजीयात भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही रहा है और न ही भविष्य मे रहेगा। यदि इस विक्रय पत्र के खिलाफ मेरा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की

कोई आपत्ति, दावेदारी अथवा उज्रदारी उठायेंगे तो उनका तस्फिया भी मै विक्रेता स्वयं अपने खर्चे के साथ करूँगा।

आज तक उक्त विक्रित आराजीयात भूमि सभी प्रकार के झगडे टन्टो से सरकारी, गैर सरकारी, बैंक एवं जन साधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है और न ही किसी के रहन, बक्शीश, गिरवी अथवा विक्रय अनुबन्धित है। विक्रय भूमि सभी प्रकार से पाक व साफ है । आज से पहले का किसी का कोई कर भार बकाया होगा या निकलेगा तो उसका चूकारा भी मै विक्रेता स्वयं करूँगा।

इस विक्रय पत्र सें पूर्व जो समस्त मालिकाना हक व अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना हक व अधिकार अब जरिये इस विक्रय पत्र के उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये है। द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजीयात भूमि से सभी प्रकार के फायदे उठावे, अपने नाम से लगान जमा करावे, उक्त भूमि को सममतल करावे, किस्म परिवर्तन करावे, हर प्रकार से इसका उपयोग व उपभोग करे, चाहे तो किसी अन्य को बेचान या हस्तान्तरित करे।

<u>विक्रित भूमि का संक्षिप्त विवरण व स्थिती :-</u>

ग्राम गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला जयपुर के उपरोक्त सारणी नम्बर–1 मे वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1225/7632 भाग सम्पूर्ण को एवम् सारणी नम्बर–2 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर–1108 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को बेचान किया गया है। उक्त विक्रित नेशनल हाइवे रोड से करीब एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रय भूमि के आसपास कोई औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षैत्र नही है।

इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता के जिम्मे है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है ।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष सोच,समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 1000/–रूपये के स्टाम्प कीमती किता एक व पेपर किता पॉच पर लेख करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति0

उप पंजीयक चौमूं

नोटः– इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने पर विभाग की जिम्मेवारी नही होगी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता :-

(बजरंगसिंह जाट)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता :-

अध्यक्ष
स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर

Drafted by

हस्ताक्षर गवाहान मय पता :-

1– मोहन लाल कुमावत

2– मुकेश सैनी S/o श्री गंगा सहाय सैनी
16, केशवनगर, चौमूं

Yadav

D-182

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 353235

- 4 FEB 2013

श्री गणेशाय नमः

बक्शीश-नामा

हम (1) बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाट उम्र करीब 45 वर्ष, (2) श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह उम्र करीब 42 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज्य राजस्थान के रहने वाले है।

संतोष

...नायक-चौमूँ

D-186

क्रमांक 2398 दिनांक 5/2/2013

मुद्रांक का कुल मूल्य 50/- 20000/-

नाम सेठ मुकुन्दी लक्ष्मी बंधाला शिक्षा प्रचार शोध संस्थान

पिता/पति का नाम ....

पता .... [illegible]

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित पक्ष

.... [illegible]

राधेश्याम

राधेश्याम गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता

तह० चौमू (जयपुर)

ला० नं० R127/1039

D-185

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353196

(2)

जो कि ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर मे हमारी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सारणी नम्बर-1

क्र0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1-	1168/1773/2	0.29 हैक्टेयर	बारानी-2

उपरोक्त सारणी नम्बर-1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर-1168/1773/2 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी

D-184

क्रम 2398 दिनांक 5/2/2013
स्टांप का कुल मूल्य 70
नाम 300000/-
पिता/पति का नाम — स्वo कुमारी लक्ष्मी प्रधानाचार्य शिक्षा उवह शोध संस्थान
पता ....
स्टांप खरीदने का प्रयोजन तथा सम्बन्धित पक्ष — गोविन्दगढ़
बजरंगसिंह

राधेश्याम
राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
लाo नं० R127/10.38

आज दिनांक 8 माह **February** सन् **2013** को **14:12** बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री **BAJRAGH SINGH** पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री **GANGU RAM**
उम्र **45** वर्ष, जाति **JAT** व्यवसाय **AGR**
निवासी **GOVIND GARH**
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013002200)
(Gift Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, **CHOMU**
उप पंजीयक-चौमूं

रसीद नं0 **2013001759** दिनांक **08/02/2013**
पंजीयन शुल्क रू0 50000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 51330/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 313300/-
कुल योग रू0 414930/-

(2013002200)
(Gift Deed)
उप पंजीयक, **CHOMU**
उप पंजीयक-चौमूं

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री **(Executant)** **1-BAJRAGH SINGH /GANGU RAM** **Age:45, Caste-JAT** **Ocu.-AGR** **R/O-GOVIND GARH**			

उप पंजीयक-चौमूं

D-183

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 353197

(3)

राजस्व रेकार्ड मे प्रतिज्ञ नम्बर–1 बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है।

सारणी नम्बर–2

क्रं0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1–	1168 / 1773 / 1	0.07 हैक्टेयर	बारानी–2
2–	1169 / 1774	0.05 हैक्टेयर	बारानी–2

D-182

क्रमांक 2358 दिनांक 4/2/2013
स्टाम्प का कुल मूल्य 70 रू. 50000/-
नाम स्व० कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
पिता/पति का नाम
पता गोविन्दगढ़
स्टाम्प खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित
पक्ष

राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
ला० नं० R127/103A

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
2-SANTOSH DEVI /BAJRANG SINGH **Age:42, Caste-JAT** **Ocu.-AGR** **R/O-GOVIND GARH**	संतोष		
(And Claimant) **1-KUMARI LXMI BADHALA SHIKSHAN JARIY BAJRAGH CHOHAN /PURAN MAL** **Age:66, Caste-NAI** **Ocu.-SER.** **R/O-KALU KA BAS (GOVIND GARH)** **R/O-KALU KA BAS (GOVIND GARH)**			

ने लेख्यपत्र **Gift Deed**
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री **BABU LAL**
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **MALI RAM** उम्र **32** वर्ष
जाति **AHIR** व्यवसाय **AGR**
निवासी **GOVIND GARH** — बाबूलाल

2. श्री/श्रीमती/सुश्री **NAND KISHOR**
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **GHASI RAM** उम्र **35** वर्ष
जाति **AHIR** व्यवसाय **AGR**
निवासी **GOVIND GARH** ने की है जिनके — नन्दकिशोर

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2013002200)
(Gift Deed)

उप पंजीयक **CHOMU**
उप पंजीयक-चौमूं

D-181

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353198

353198

(4)

3–	1170 / 1805	0.17 हैक्टेयर	बारानी–2
योग :–	3	0.29 हैक्टेयर	

उपरोक्त सारणी नम्बर–2 मे वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे प्रतिज्ञ नम्बर–2 श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है।

D-180

क्रमांक 2396 दिनांक 4/2/2013

मुद्रांक का कुल मूल्य 70 200000/-

नाम

पिता/पति का नाम

पता

मुद्रांक खरीदने का उद्देश्य तथा सम्बन्धित

पक्ष

राधेश्याम गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता

तह० चौमू (जयपुर)

लाο नं० R127/1038

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 10266000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 313300 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 50000 कुल रूपये 414930
जरिये रसीद संख्या 2013001759 दिनांक **08/02/2013**
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 513300
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक-चौमूँ

(2013002200) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Gift Deed)

आज दिनांक **08/02/2013** को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 444
में पृष्ठ संख्या 97 क्रम संख्या 2013001697 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1556
के पृष्ठ संख्या 349 से 361 पर
चस्पा किया गया।

उप पंजीयक-चौमूँ

(2013002200) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Gift Deed)

D-129

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353199

(5)

अतः हमको उपरोक्त वर्णित हमारी खातेदारी भूमि को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारो सहित हस्तान्तरित, बख्शीश आदि करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रतिज्ञ नम्बर–1 श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाट ने अपनी स्वेच्छा से अन्तकरण: से प्रेरित होकर उक्त **सारणी नम्बर–1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर–1168 / 1773 / 2 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को** एवम् प्रतिज्ञ नम्बर–2 श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह जाट ने अपनी स्वेच्छा से अन्तकरण: से प्रेरित होकर उक्त **सारणी नम्बर–2 मे वर्णित कुल खसरा किता–3 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण**

संतोष

उप पंजीयक-चौमूं

D-178

क्रमांक 2398 दिनांक ५२/२०१३

मुद्रांक का कुल मूल्य 10 / 200000/-

नाम स्व० कुमारी लक्ष्मी बघाल/शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम

पता गोविन्दगढ़

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित पक्षों — बन्शीशरण

राधेश्याम

राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
ला० नं० 8127/10.30

D-177

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353200

(6)

को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवम् अधिकारो सहित को मय बोल, डोल सूल, पानी–पूला, वृक्ष आदि सहित को **स्व०कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवम् शोध संस्थान गोविन्दगढ़ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान निवासी -कालू का बास, ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)** के हित मे कतई बख्शीश करते है। तथा उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर उक्त बख्शीश ग्रहिता को जाकर करा दिया है। अब उक्त बख्शीश ग्रहिता को नामान्तकरण एवं खातेदारी खुलवाने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चूके है। यदि इस सम्बन्ध मे हमारे लिखित अथवा मौखिक बयान एवं

उप पंजीयक-चौमूँ

D-186

क्रमांक 2398 दिनांक 5/2/2053

मुद्रांक का कुल मूल्य 10/-

200000/-

नाम स्व० कुमारी बघाल्डा शिक्षा एवम् शोध संस्थान

पिता/पति का नाम ....

पता ....

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित

पार्टी ....

राधेश्याम गुप्ता

राधेश्याम गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता

तह० चौमू (जयपुर)

ला० नं० R127/10.38

D-125

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353178

(7)

शहादत की आवश्यकता होगी या पडेगी तो हम बख्शीश ग्रहिता का पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य रहेंगे।

अब हमारा व हमारे उत्तराधिकारियो का उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही रहा है और न ही भविष्य मे रहेगा। यदि इस बख्शीश पत्र के खिलाफ हमारा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, दावेदारी अथवा उज्रदारी उठायेंगे तो उनका तस्फिया भी हम बख्शीश कर्तागण स्वयं अपने खर्चे के साथ करेंगे।

आज तक उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि सभी प्रकार के झगडे टन्टो से सरकारी, गैर सरकारी, बैंक एवं जन साधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है और न ही किसी के रहन, बक्शीश, गिरवी

संतोष

उप पंजीयक-चौमूं

D-184

क्रमांक 2398 दिनांक 7/2/2013

मुद्रांक का कुल मूल्य 200000/-

नाम [illegible] शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम ....

पता [illegible]

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित पार्टी [illegible]

[illegible signature]

राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
ला० नं० R127/1038

D-123

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353179

(8)

अथवा बक्शीश अनुबन्धित है। बख्शीश की गई भूमि सभी प्रकार से पाक व साफ है । आज से पहले का किसी का कोई कर भार बकाया होगा या निकलेगा तो उसका चूकारा भी हम बख्शीश कर्ता स्वयं करेंगे।

इस बख्शीश नामा सें पूर्व जो समस्त मालिकाना हक व अधिकार हम बख्शीश कर्तागणो को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना हक व अधिकार अब जरिये इस बख्शीश नामा के उक्त बख्शीश ग्रहिता को प्राप्त हो गये है। बख्शीश ग्रहिता उक्त बख्शीश की गई आराजी भूमि से सभी प्रकार के फायदे उठावे, अपने नाम से लगान जमा करावे, इत्यादि।

बख्शीश की गई भूमि की स्थिती :-

यह कि उक्त बक्शीश की गई आराजीयात भूमि रोड से लगती हुई स्थित है। बक्शीश की गई भूमि मे कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही है।

संतोष

उप पंजीयक-चौमूं

D-172

क्रमांक 2318 दिनांक 5/3/2013

मुद्रांक का कुल मूल्य 70

नाम सचिव आर्य / विकली बघाल शिक्षा एवम् शोध संस्थान

पिता/पति का नाम

पता गोविन्दगढ़

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित

पक्षों कार्यालय

राधेश्याम गुप्ता

राधेश्याम गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विक्रेता

तह० चौमू (जयपुर)

ला० नं० R127/10.3..

D-171

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 353180

(9)

यह कि हमने उक्त आराजीयात भूमि की बख्शीश अपनी अन्तःआत्मा से प्रेरित होकर स्व0 कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवम् शोध संस्थान गोविन्दगढ जिला जयपुर के हक मे किया है। हमने कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया है। हमारी उक्त बख्शीश को उक्त संस्थान की और से संस्थान के अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान ने सहर्ष स्वीकार कर इस लेख पत्र मे अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

इस बख्शीश नामा का समस्त खर्चा बख्शीश ग्रहिता द्वारा वहन किया गया है।

अतः यह बख्शीश नामा हमने हमारी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष

उप पंजीयक-चौमूं

D-170

क्रमांक 2398 दिनांक 7/2/2023

मुद्रांक का कुल मूल्य 10 / 200000/-

नाम स्व० कुमारी प्रेक्षणी विद्यालय शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम

पता जोबनेर

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित

पार्टी अनुबंध

राधेश्याम

राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
ला० नं० R127/1038

2-169

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

353181

(10)

सोच, समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 2,00,000/—रूपये के स्टाम्प कीमती किता दस पर लेख करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति0

हस्ताक्षर बख्शीश कर्तागण :-

मुझे उपरोक्त बख्शीश सहर्ष स्वीकार है :-

बजरंगलाल चौहान
अध्यक्ष
स्व० कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ. (जयपुर)

हस्ताक्षर गवाहान मय पता :-

1– (बाबूलाल S/o मालीराम अहीर) गोविन्दगढ़

उप पंजीयक-चौमूं

2– नन्दकिशोर (नन्दकिशोर S/o धानीराम अहीर) गोविन्दगढ़

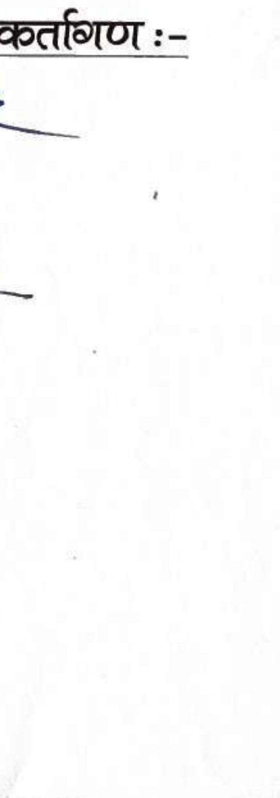

D-168

क्रमांक २३१४ दिनांक ८/२/२०१२

मुद्रांक का कुल मूल्य १० / २००००० [illegible]

नाम [illegible] शिक्षा एवं शोध संस्थान

पिता/पति का नाम [illegible]

पता [illegible]

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित पक्षकार [illegible]

[illegible signature]

राधेश्याम गुप्ता
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
तह० चौमू (जयपुर)
लाइ० नं० R127/10.3[illegible]

प्रारुप (ख)
देखिए नियम 9(3) (4) और (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

क्रमांक आर.ए./13/166 दिनांक 04/10/13

संपरिवर्तन आदेश

स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूॅं जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिर्वतन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	**स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूॅं जिला जयपुर ।**
2. क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नही ।
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	गोविन्दगढ, गोविन्दगढ, चौमूॅं।
(ख) भूमि का खसरा स0 एवं प्रत्येक ख0 स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 ।
(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए,राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रुप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 मे से कुल 0.25 है0 अर्थात कुल 2500 व0मी0।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमीयम की दर	56.46/– प्र0व0मी0
6. चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 84 दिनांक 27.06.2013 जमा दिनांक 27.06.2013 से रु0 25000/–एव चा.न. 216 दिनांक 13.09.2013 जमा दिनांक 13.09.2013 से रु0 116150/– कुल रु0 141150/–
7. चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	—
8. चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	—
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	—
10. अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	रूपान्तरित ख0न0 की भूमि मे से 140 व0मी0 भूमि भा0स0काग्रेस के मापदण्डानुसार प्रभावित है।

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भुमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
5. आवेदित भूमि मे से एच0टी0 लाईन गुजर रही है जिसे अन्यत्र स्थान्तरित करवा कर ही रूपान्तरित भूमि का अकृषिक उपयोग किया जा सकेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का अकृषि उपयोग नही किया जावेगा ।
7. आवेदित भूमि मे से इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का राज्य पक्ष मे निशुल्क समर्पण करना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प0 6 (6) राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध मे जारी अन्य परिपत्रो/निर्देशो की सभी शर्ते लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

प्रतिलिपि :–

क्रमांक सम /13/ 167-170

दिनांक 04/10/13

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व/रा. ले.) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमूॅ।
3. ग्राम पॅचायत **गोविन्दगढ** पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक **स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ** तहसील चौमूॅ जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमूं (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

प्रारुप (ख)
देखिए नियम 9(3) (4) और (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

क्रमांक आर.ए. / रूपा0 / 20 / 91 दिनांक 22/7/2020

संपरिवर्तन आदेश

स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिर्वतन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता / पति का नाम सहित पूरा पता	**स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ।**
2	क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नही
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील	**गोविन्दगढ ,गोविन्दगढ , चौमूॅं।**
	(ख)भूमि का खसरा सख्या एवं प्रत्येक ख0स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 2203 / 2193 रकबा 0.3080 है0 में सें 0.2690 है0, ख0न0 1169 रकबा 0.36 है0 में सें 0.2840 है0 किता–02 कुल रकबा 0.5530है0।
	(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए ,राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रुप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 2203 / 2193 रकबा 0.3080 है0 में सें 0.2690 है0, ख0न0 1169 रकबा 0.36 है0 में सें 0.2840 है0 किता–02 कुल रकबा 0.5530है0 अर्थात (5530 व0मी0)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	85.96 / – प्र0व0मी0
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. Nil (GRN **40023967**) दिनांक 18.06.2020 जमा दिनांक 18.06.2020 से रु0 75,000 / – 83 (GRN **41074103**) दिनांक 21.07.2020 जमा दिनांक 21.07. 2020 से रु0 400404 / – कुल रु0 475404 / –
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	–––
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	–––
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	–––
10	अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	1. ख0न0 2200 / 2027 रकबा 0.0080है0, ख0न0 2202 / 2193 रकबा 0.0120है0 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता आवेदक के द्वारा निःशुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित की गई है। 2. ख0न0 2201 / 2027 रकबा 0.0620है0, ख0न0 2203 / 2193 रकबा 0.0390है0, ख.न. 1169 रकबा 0.0760है0 किता– 3 कुल रकबा 0.1770 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस सें प्रभावित होने सें रूपान्तरण नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का अकृषि उपयोग नही किया जावेगा।
6. आवेदित भूमि ख0न0 2201/2027 रकबा 0.0620है0, ख0न0 2203/2193 रकबा 0.0390है0, ख.न. 1169 रकबा 0.0760है0 किता– 3 कुल रकबा 0.1770 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस सें प्रभावित भूमि का उपयोग केवल मार्ग अधिकार के काम में लिया जा सकेगा। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य व अकृषि उपयोग में नही किया जा सकेगा।
7. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प0 6 (6) राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 एव इस सम्बन्ध मे जारी अन्य परिपत्रो/निर्देशो की सभी शर्ते लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर

उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट चौमूँ–जयपुर (राज.)

(हिम्मत सिंह)
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

प्रतिलिपि :-

कमांक सम/20/ 92–93

दिनांक 22/7/2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमूँ।
3. ग्राम पँचायत गोविन्दगढ पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक **स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ ।**

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमूं (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर